# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/2017

1. चन्दभान पुत्र श्रीचन्द | जाति जाट निवासी लूणावाली ढाणी तहसील
2. हरीराम पुत्र कालूराम | टिब्बी जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) टिब्बी।
2. दलीप सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रणजीत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 लूणावाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

दिनांक 02.06.2017

**उपस्थिति :–**

श्री विक्रम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट सं. 1

श्री जीतपालसिंह सैनी अभिभाषक अपीलांट सं. 2

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

श्री विरेन्द्र सिहाग अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री विजय रेवाड अभिभाषक रेस्पों. सं. 3

**निर्णय** दिनांक :– 08.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट सं. 1 द्वारा एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष राज.काश्त. अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प.नं. 196/338 के मु.नं. 15 के कि.नं. 1/1, 10/1, 11/1 प्रत्येक में 0.025है0 रास्ता का अंकन निरस्त कर प्रार्थी को खातेदार घोषित करने

8/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एवं उक्त बन्द रास्ता को चालू न करवाने का निवेदन किया। उक्त प्रा. पत्र को उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने दिनांक 04.05.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 128/2017 पेश होने पर उक्त अपील दिनांक 17.05.2017 को स्वीकार कर प्रकरण अधी.न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 02.06.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई जो माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 08.08.17 द्वारा इस न्यायालय को मुन्तकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 16.11.2017 को दर्ज रजिस्टर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र का रेस्पों. ने जबाब पेश कर खण्डन नहीं किया। मौके पर फसल काश्त है जिसका खण्डन भी रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत है। अपीलांट द्वारा उसे बन्द कर दिया है जिसे खुलवाये जाने का प्रा.पत्र पेश किये जाने पर रास्ता खुलवाया गया। स्वीकृत रास्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता। अधी. न्यायालय ने प्रा. पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में पेश की गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मुन्तकिल प्रा.पत्र/एल.आर.एक्ट संख्या 3886/2017 निर्णय दिनांक 08.08.2017 द्वारा निर्णय हेतु इस न्यायालय में अन्तरित की गई है जिसमें उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलबध होने के बाबजूद स्वीकृतशुदा रास्ता निरस्त नहीं किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

प्रकरण हाजा की पत्रावलियों को अवलोकन किया। अपील का मूलाधार चन्द्रभान पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा दिनांक 04.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प.नं. 196/338 मु. नं 15 के कि.नं. 1, 10, 11 में उसकी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृतशुदा है परन्तु उक्त किलों में रास्ता स्वीकृत होने के बाबजूद रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा तथा रास्ते की किसी भी काश्तकार को आवश्यकता नहीं है। अतः चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प.नं. 196/338 के मु.नं. 15 के कि.नं. 1/1, 10/1, 11/1 प्रत्येक में दर्ज 0.025है0 रास्ता निरस्त कर उसे इस आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए जो उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा दिनांक 04.05.2017 को इस प्रा.पत्र के निर्णय में राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए में स्वीकृतशुदा रास्ता निरस्त करने एवं रास्ते की भूमि पर खातेदारी दिये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की जो प्रकरण संख्या 128/2017 दिनांक 05.05.2017 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.05.2017 को निर्णित होकर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का निर्णय दिनांक 04.05.2017 को निरस्त कर अपील स्वीकार होकर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को इस

8/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ (राज.)

निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि उभयपक्ष को सुनकर राज.उपनि. अधि. की धारा 8(2) के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रा.पत्र के निस्तारण का निर्णय दिनांक 02.06.2017 में प्रा.पत्र पुनः निरस्त कर निर्णय पारित किया कि " तहसीलदार टिब्बी को निर्देश दिये जाते हैं कि स्वीकृतशुदा गैर मुमकिन रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर स्वीकृत रास्ते को आज ही खुलवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की है।

उभयपक्ष की बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत डी.एन.जे. 2017 पेज 126 अपील/एल.आर./ 3046/2015/बीकानेर परताराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान में निर्णय दिनांक 10.01.2017 में held किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956– धारा 76–एस.डी.ओ. ने 36 मुरब्बाओं में गैर मुमकिन रास्ता कायम किया– चक के किसी काश्तकार को नोटिस जारी नहीं किया– सुनवाई का अवसर नहीं दिया– किसी काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया– विधिक प्रकिया का अनुसरण नहीं किया– निर्णित आदेश अपास्त किया।

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा इसका प्रतिकार करते हुए जाहिर किया कि इस न्याय सिद्धांत में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकिया की पालना नहीं की गई की वजह से निर्णय अपास्त हुआ है जो प्रकरण हाजा की अपील मेमों में कहीं पर प्रकिया का नुक्स नहीं दर्शाया है। अतः यह रूलिंग प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलांट सं. 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर. डी. 1993 पेज 283 रिव्यू पटिशन नं. 37 गंगानगर/92/ प्रतापसिंह बनाम दर्शनसिंह निर्णय दिनांक 24.07.1992 में held किया है Raj. Colonisation( General Colony) Conditions, 1955, Condition By

8/12/17

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर (राज.)

Notification dt. 11-10-74, Asstt. Colonisation Commissioner is empowered to cancel an existing Rasta or open a new one.

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा इस न्याय सिद्धांत का प्रतिकार करते हुए जाहिर किया कि प्रा.पत्र अन्तर्गत राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश होकर इसी धारा के अन्तर्गत निर्णित हुआ है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने राज.उपनि.अधि. की धारा 8(2) को आधार बनाकर प्रकरण रिमाण्ड किया था। दौराने बहस रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.टी. 2013(1) पेज 299 रामस्वरूप बनाम नाथू वगैरह अपील नं. 4948/हनुमानगढ/2011 निर्णय दिनांक 16.11.2012 में held किया है कि राजस्थान उपनिवेशन( सामान्य कॉलोनी) शर्तें, 1955–शर्त 8(2) – रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 ने किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 से गुजरने वाले रास्ते के अधिकार को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया– तर्क कि लम्बे समय से रास्ता उपयोग में नहीं है– आवेदन स्वीकार किया– भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में वर्गीकृत थी और ऐसा वर्गीकरण आवेदन पर विलोपित नहीं किया जा सकता– इस सम्बन्ध में प्रावधान मौन है– निर्णित, आदेश क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित है व अपास्त किया। इसी सिंगल बैंच के निर्णय की अपील स्पेसल अपील नं. 10087/2012/हनुमानगढ नत्थूराम बनाम रामस्वरूप व अन्य निर्णय दिनांक 24.08.2015 में माननीय राजस्व मण्डल की डी.बी. ने held किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, धारा 10 एकलपीठ के विरूद्ध अपील, अभिनिर्धारित–उपखण्ड अधिकारी को गैर मुमकिन रास्ता निरस्त करने के अधिकार प्राप्त नहीं है–ऐसा निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अपीलीय न्यायालय द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है– कोई समयावधि नहीं– एकलपीठ का निर्णय विधिसम्मत जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं– एकलपीठ के निर्णय की पुष्टि।

8/12/17

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत की Merits व प्रकरण हाजा की Merits भिन्न होने से चस्पा योग्य नहीं बताया। रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धांत आर.आर.टी. 2016(1) पेज 96 संजय व अन्य बनाम महावीर प्रसाद आदि अपील एल.आर.नं. 5161/हनुमानगढ/2013 निर्णय दिनांक 18.06.2015 में held किया है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954– धारा 8(2)–रास्ता निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया– एस.डी.ओ. ने स्वीकृत रास्ता निरस्त किया तथा भूमि की प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया– राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश पुष्ट किया–एस.डी.ओ. गैर मुमकिन रास्ता निरस्त करने तथा काश्तकार को आवंटित करने की शक्ति नहीं है– धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते– निर्णित, निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध है व अपास्त किये तथा रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रतिकार करते हुए जाहिर किया कि यह निर्णय उपनिवेशन अधिनियम के तहत हुआ है जबकि प्रकरण हाजा का निर्णय राज.काश्त.अधि. के तहत हुआ है। अतः यह न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों का गहनता से अध्ययन किया जो रास्ता स्वीकृत एवं निरस्त से सम्बन्धित है रास्ता स्वीकृत का प्रथम एवं आवश्यक पैरा मीटर रास्ते की आवश्यकता होना अनिवार्य है। परन्तु प्रकरण हाजा में यह आवश्यकता प्रमाणित नहीं है जो अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करते समय विवेचित किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया जिसे विधिक नुक्स माना जाकर अपीलीय न्यायालय को दुरूस्त करने के अधिकार होने , अधि. न्यायालय द्वारा नियमों में प्रावधान नहीं दर्शाकर प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि यह स्थापित विधि है कि

8/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जो स्वीकृत कर सकता है उसे निरस्त करने के भी अधिकार है। अतः धारा 251ए में अगर रास्ता निरस्त करने के specific प्रावधान नहीं है तो यह विधि Forbids भी नहीं करती कि जहां आवश्यकता नहीं हो उस रास्ते की उपादेयता अनुसार निरस्त किया जाना अपेक्षित होने पर निरस्ती की जा सकती है। जैसाकि स्वीकृत रास्ता मौके पर बन्द ही नहीं है अपितु उस स्थान पर सरसों की फसल खड़ी होना जाहिर किया जिसका denial पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः स्वीकृतशुदा रास्ता खारिज योग्य होकर खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर